न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./03/2019/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. जमाल पुत्र पनु 2. कमाल पुत्र पनु 3. रहीम पुत्र पनु 4. मुसा पुत्र पनु 5. सुमार पुत्र पनु 6. वलीया पुत्र वरू 7. अरादीन पुत्र वरू 8. रूपों पत्नी अलीया 9. जुसब खां पुत्र अलीया जाति मुसलमान निवासी मेहरों की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर।	बनाम	1.दोरा खां पुत्र उम्मेद 2.इमनी पत्नी चना खां 3.उरस खां पुत्र चना खां 4.सुरेखा पुत्र चना खां 5.नसीर खां पुत्र चना खां 6.हनीफ खां पुत्र चना खां 7.सलीम खां पुत्र चना खां 8.अमरदीन पुत्र चना खां जाति मुसलमान निवासी मेहरो की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर। 11.शाखा प्रबन्धक बी ओ बी शाखा शिव 12.शाखा प्रबन्धक बी ओ आई बैंक शाखा शिव 13.शाखा प्रबन्धक एस बी आई बैंक शाखा शिव 14.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव के राजस्व आवेदन संख्या 250/2018 बअनवान दोरा खां वगैरा बनाम जमाल खां वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से उप.।
2. वकील श्री प्रेमाराम सोनी रेस्पोडेण्ट संख्या 1,4,5,7,8 की ओर से उप.।

निर्णय

दिनांकः– 11.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 08 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 1347/1115 व 1345/1115 रकबा क्रमशः18 बीघा व 45.18

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बीघा मेहरो की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1123, 1287/1115 व 1120 रकबा क्रमशः 98.18 बीघा, 68.05 बीघा, 226.19 बीघा प्रार्थीगण के खेत व सड़क मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत एवं जोत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों और के काश्तकार अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 08.10.2018 को पुनश्चय कर किसी भी पक्षकार के आवेदन पत्र के बिना ही तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये जबकि उस तिथि को पूर्व में पेशी विप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दी जा चुकी थी तथा विप्रार्थीगण अधिवक्ता की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब की गई जबकि विधिनुसार उक्त मौका रिपोर्ट तलब करने से पूर्व दोनो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था एवं तहसीलदार शिव को भी दोनों पक्षों के रूबरू मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब इस आलोच्य आदेश की जानकारी दिनांक 24.12.2018 को हुई तब श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र पेश कर उक्त प्रकरण में किसी अन्य अधिकारी से सुनवाई करने का निवेदन किया तथा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.01.2019 को लिखित में दे दी गई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में दिनांक 09.01.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता की खातेदारी खेतो को दो भागों में विभक्त कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 08.10.2018 को पुनश्चय कर किसी भी पक्षकार के आवेदन पत्र के बिना ही तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये जबकि उस तिथि को पूर्व में पेशी विप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दी जा चुकी थी तथा विप्रार्थीगण अधिवक्ता की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब की गई जबकि विधिनुसार उक्त मौका रिपोर्ट तलब करने से पूर्व दोनो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था एवं तहसीलदार शिव को भी दोनों पक्षों के रूबरू मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब इस आलोच्य आदेश की जानकारी दिनांक 24.12.2018 को हुई तब श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र पेश कर उक्त प्रकरण में किसी अन्य अधिकारी से सुनवाई करने का निवेदन किया तथा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.01.2019 को लिखित में दे दी गई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में दिनांक 09.01.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता की खातेदारी खेतो को दो भागों में विभक्त कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1347/1115 व 1345/1115 रकबा क्रमशः18 बीघा व 45.18 बीघा मेहरो की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलाधीन आवेदन अंतर्गत धारा 251 ए में तलब की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 04.11.2018 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इसमें दो रास्ते स्पष्ट रूप से दर्शाये हुए है। इसमें स्पष्ट किया है कि "प्रार्थीगण के आवागमन हेतु प्रस्तावित मार्ग के अलावा वैकल्पिक रास्ता में खसरा संख्या 1117 के साथ-साथ रास्ता खसरा संख्या 1345/1115 में जाने के लिए रास्ता दिया जा सकता है, जो कि मूल खसरे से अधिक दूरी तय करता है।" इस वैकल्पिक रास्ते के बारे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया। अपीलाधीन निर्णय से अप्रार्थीगण/अपीलांटगण का खेत बीचो बीच में से दो टुकड़ों में विभक्त होता है जो कतई न्यायसंगत नहीं ठहराया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सकता क्योंकि इससे अप्रार्थीगण को जोत विभाजन के फलस्वरूप उसकी सुरक्षा, बाड़–बंदी, रख–रखाव तथा उपयोग–उपभोग में असुविधा का सामना करना पड़ता है। व्यावहारिक रूप से भी रास्ता खेत की सीमा(माठ) के सहारे–सहारे दिया जाना ज्यादा उपयुक्त है। वैकल्पिक रास्ते में अप्रार्थीगण के दो खेत आते है और उनमें सीमा के सहारे–सहारे रास्ता देने के लिए वे सहमत हैं, इसके लिए उन्हें अतिरिक्त मुआवजे/प्रतिफल की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्व में निर्धारित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग भी नहीं है वैकल्पिक रास्ते की दूरी अलबता अधिक हैं जो लगभग 600 मीटर अधिक है। नियामानुसार रास्ता आवेदक/प्रार्थीगण की सुविधानुसार नहीं दिया जा सकता। अपीलाधीन निर्णय द्वारा दिया गया रास्ता खसरा संख्या 1347/1115 तक नहीं पहुँचाया गया है जिसमें प्रार्थी संख्या 01 को कोई राहत नहीं मिल रही है। रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता एवं उपलब्ध समुचित विकल्प का उपयोग करते हुए ही रास्ते के संरेखण का निर्धारण करना ही युक्तिसंगत है। **मामले में रास्ता प्रार्थीगण के खेत से भी दिये जाने का विकल्प विद्यमान है इसलिए इसका भी उपयोग किया जाना न्यायोचित है।** प्रार्थी संख्या 02 से 08 के खेत खसरा संख्या 1345/1115 में जाने हेतु प्रार्थी संख्या 01 के **खेत खसरा संख्या 1347/1115 में से भी रास्ता दिया जा रहा है।** अपीलाधीन निर्णय अवैधानिक, अयुक्तिसंगत एवं अव्यावहारिक होने कारण यथावत रखने योग्य नहीं है इसलिए इसे निरस्त किया जाना ही बेहतर है। उपरोक्त समग्र परिस्थितियों, सिद्धांतों एवं विश्लेषण के आलोक में अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तथा उतरदातागण द्वारा चाहा गया रास्ता संलग्न **"परिशिष्ट ब"** में इंगित ABCDEF बरंग लाल डॉट्स अनुसार दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि वह पालना से अवगत करावे। **परिशिष्ट "ब" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।**

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है

11/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 'ब'

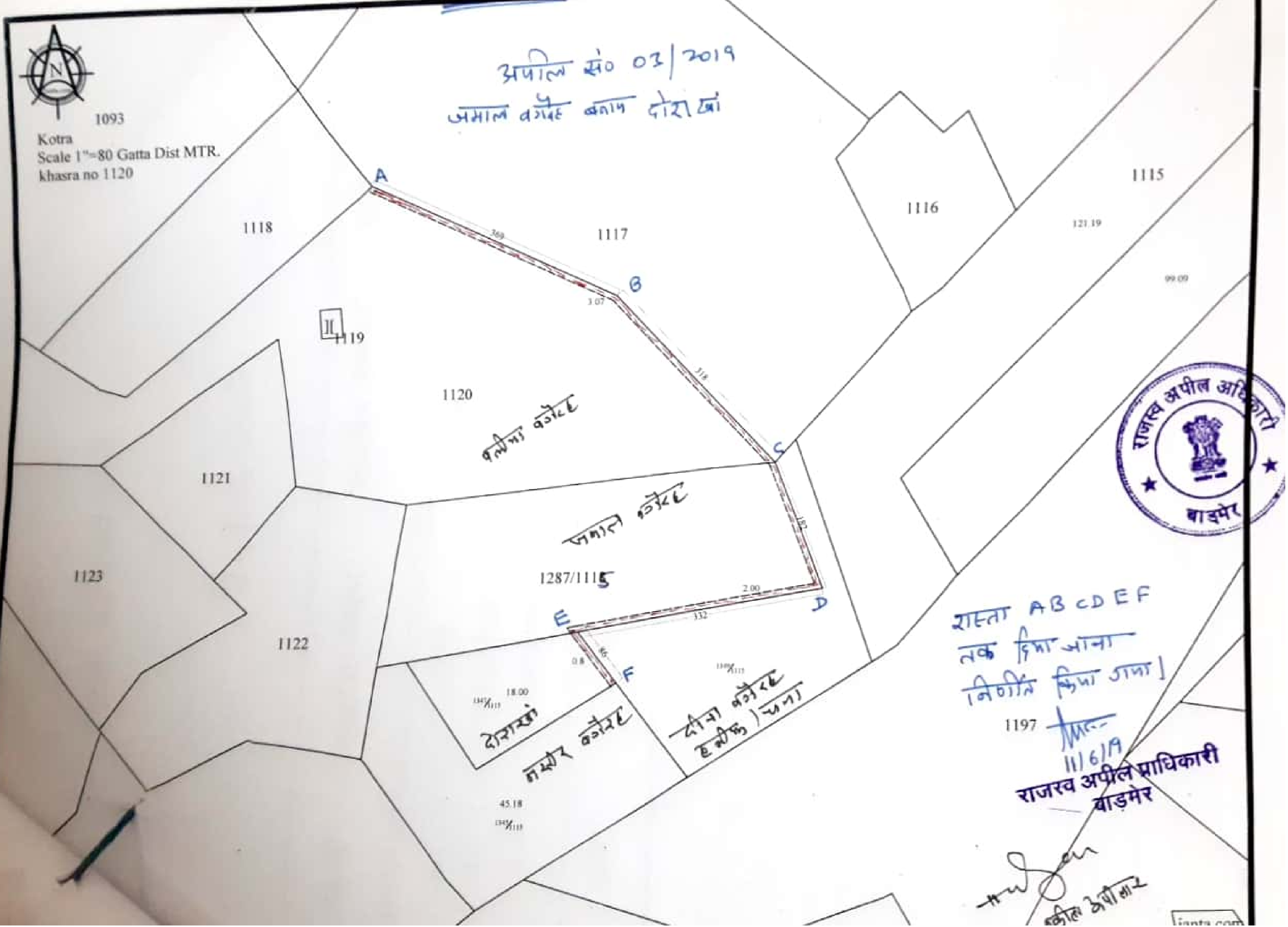

Scanned by CamScanner